



दक्षिण रेलवे/SOUTHERN RAILWAY

सं No.P(R)420/P/Vol.VIII

प्रधानकार्यालय/Headquarters Office
कार्मिक शाखा/Personnel Branch
चेन्नै/Chennai - 600 003
दि./ Dated:26-11-2019

आर बी ई सं/RBE No. 186 / 2019

पी बी सी सं/ PBC No.276 / 2019

All PHODs / DRMs / CWMs / CEWE / CAO / CPM / Dy.CPOs / Sr.DPOs /
DPOs / SPOs / WPOs / APOs of HQ / Divisions / Workshops.

(As per mailing list-'A')

Sub : Leave to a Railway Servant who is unlikely to be fit to return to
duty – reg .

Copy of Railway Board letter No. E(P&A) I-2017/CPC/LE-5 dated
01-11-2019 alongwith Advance Correction Slip No. 138 to Indian Railway Es-
tablishment Code – Vol.I 1985, Edition (Third Reprint Edition – 2008) on the
above subject is enclosed for information, guidance and necessary action


(S.JANAKIRAMAN) 26.11.2019

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/नियम

Senior Personnel Officer/Rules

For Principal Chief Personnel Officer

संलग्न/Encl: as above

प्रतिलिपि Copy to : The Genl Secy / SRMU
The Genl Secy / AISCSTREA
The Genl Secy / AIOBCREA
The Genl Secy / NFIR

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं. 186/2019

सं. ई(पीएंडए)-2017/सीपीसी/एलई-5

नई दिल्ली दिनांक 01.11.2019

महाप्रबंधक/प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां.

विषय: ऐसे रेल सेवक को छुट्टी जिसका इयूटी पर लौटने के योग्य होना असंभाव्य है के संबंध में।

सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, रेल मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द-1 के नियम 522 के अंतर्गत आवेदन की गई छुट्टी, चिकित्सा प्राधिकरण जिसकी सलाह आवश्यक होगी, को भेजे बिना अस्वीकृत अथवा रद्द नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त, चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा दिए गए अयोग्यता प्रमाण-पत्र के प्राप्त होने के बाद दी गई अवधि (अवधियाँ) के लिए काटी गई कोई भी छुट्टी रेल सेवक के छुट्टी खाते में वापस डाली जाएगी। अयोग्यता प्रमाण-पत्र अनुबंध III-क में जारी किया जाना अपेक्षित है, जिसे सरकारी चिकित्सा बोर्ड के सरकारी चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रेल सेवक जिसे भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द-1 के नियम 522 के उप-नियम (1) खंड (ख) के प्रावधानों के अनुसार छुट्टी प्रदान की गई है, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 20 के प्रावधान अपने आप से लागू होंगे।

2. यह आदेश 19.04.2017 से प्रवृत्त होगा।

3. भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द- 1, 1985 संस्करण (पुनर्मुद्रित संस्करण-2008) के अध्याय-5 में छुट्टी नियमों के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। इसे देखते हुए, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्वारा निदेश देते हैं कि छुट्टी नियमों में संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं.-138 के अनुसार संशोधन किया जाए।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

5. कृपया पावती दें.

संलग्न: शुद्धि पर्ची.



(एन.पी.सिंह)


संयुक्त निदेशक स्था.(पी एंड ए)

रेलवे बोर्ड

सं. ई(पीएंडए)|-2017/सीपीसी/एलई-5

नई दिल्ली दिनांक 01.11.2019

प्रतिलिपि भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा सं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली को (40 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित) प्रेषित.


कृते विस्त आयुक्त/रेलें

सं. ई(पीएंडए)|-2017/सीपीसी/एलई-5

नई दिल्ली दिनांक 01.11.2019

प्रतिलिपि अग्रेषित:-

1. महासचिव, एआईआरएफ, कमरा सं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली.(35 अतिरिक्त प्रतियां).
2. महासचिव, एनएफआईआर, कमरा सं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली.(35 अतिरिक्त प्रतियां).
3. विभागीय परिषद तथा राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली. (60 अतिरिक्त प्रतियां)
4. महासचिव, एफआरओए, कमरा सं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली.(5 अतिरिक्त प्रतियां).
5. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा सं. 402, रेल भवन, नई दिल्ली. (5 अतिरिक्त प्रतियां).
6. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड क्लास-II आफिसर्स एसोसिएशन.
7. महासचिव, आईआरपीओएफ, कमरा सं. 341-सी, रेलवे बोर्ड.
8. अध्यक्ष, भारतीय रेल क्लास-II आफिसर्स एसोसिएशन.
9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन.
10. सचिव, रेलवे बोर्ड क्लास-IV स्टाफ एसोसिएशन.
11. महासचिव, अखिल भारतीय रेल सुरक्षा बल एसोसिएशन.
12. महासचिव, अखिल भारतीय अजा/अजजा रेलवे इंप्लाइज एसोसिएशन, कमरा सं.8, भूतल, रेल भवन, नई दिल्ली-110001.
13. अखिल भारतीय अन्य पिछड़ा वर्ग रेलवे इंप्लाइज एसोसिएशन.
14. महासचिव, रिटायर्ड रेलवे इंप्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन (पंजीकृत), 490ए/16, गुरुद्वारा रोड, गुड़गांव.
15. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, 16, अशोक रोड, लखनऊ.


कृते सचिव, रेलवे बोर्ड

भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द-1, 1985 संस्करण (तृतीय पुनर्मुद्रित संस्करण - 2008) के लिए अग्रिम शुद्धि पर्ची

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 138

भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द-1, 1985 संस्करण (पुनर्मुद्रित संस्करण - 2008) के छुट्टी नियमों में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं:-

नियम 502 के बाद, निम्नलिखित नियम शामिल किया जाए, अर्थात:

502-क. परिभाषा

- (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता नहीं हो-
- (क) "लेखापरीक्षा अधिकारी" का अर्थ है लेखा एवं लेखापरीक्षा अधिकारी, जो भी उसका सरकारी पदनाम हो, जिसके सर्कल में रेल सेवक का कार्यालय स्थित है;
 - (ख) "छुट्टी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ है इन नियमों की प्रथम अनुसूची के कॉलम (3) में दिए गए प्राधिकारी जो उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में तदनुसूची प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट छुट्टी प्रदान करने के लिए सक्षम है;
 - (ग) "सेवा के पूरे वर्ष" अथवा "एक वर्ष की निरंतर सेवा" का अर्थ है रेलवे में विनिर्दिष्ट अवधि की निरंतर सेवा से है और जिसमें असाधारण छुट्टी सहित ड्यूटी एवं छुट्टी पर बिताई गई अवधि शामिल है;
 - (घ) रेल सेवक के संबंध में "सेवानिवृत्ति की तारीख" अथवा "उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख" का अर्थ है महीने के अंतिम दिन का अपराह्न जिसमें रेल सेवक ने उसकी सेवा को शासित करने वाले नियम एवं शर्तों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की नियत उम्र पूरी की हो;
 - (ङ) "निशक्तता" का अर्थ है "विनिर्दिष्ट निशक्तता", "मानक निशक्तता" और "निशक्तता जहां उच्च सहायता की आवश्यकता है" जैसा निशक्त व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) में दिया गया है।
 - (च) "विदेश सेवा" का अर्थ है जिसमें रेल सेवक सरकार की मंजूरी से अपना वेतन भारत की समेकित निधि अथवा किसी राज्य की समेकित निधि [अथवा किसी संघ शासित क्षेत्र की समेकित निधि] के अलावा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करता है;
 - (छ) "फॉर्म" का अर्थ है अध्याय-5 के अंत में अनुबंध के रूप में दिया गया फॉर्म;
 - (ज) स्थायीवत् रेल सेवक का अर्थ है वह अधिकारी, जिसे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा रेल मंत्रालय के अंतर्गत सचिवीय सेवा में नियुक्त करने के लिए पात्र घोषित किए जाने पर उसके नियुक्ति लेने से पहले उसे लिखित में देकर कि तीन वर्ष की निरंतर सेवा के बाद रिक्ति के स्थायी होने की संभावना है परंतु इसकी पुष्टि नहीं है, अस्थायी अथवा स्थानापन्न रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो;

- (झ) "स्थायी सेवा में रेल सेवक" का अर्थ है वह अधिकारी जो मूल रूप से अथवा अनंतिम रूप से मूल रूप में स्थायी पद पर है अथवा जिसका स्थायी पद पर लियन है अथवा जिसका उस स्थायी पद पर लियन होता, यदि लियन निलंबित नहीं किया जाता;
- (ञ) "छुट्टी विभाग" का अर्थ है वह विभाग अथवा विभाग का भाग जिसे नियमित छुट्टियों की अनुमति है जिसके दौरान विभाग में सेवारत रेल सेवकों को ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की अनुमति होती है।

(2) इस में इस्तेमाल किए गए शब्द और अभिव्यक्तियां, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन भारतीय रेल स्थापना संहिता और भारतीय रेल स्थापना नियमावली में परिभाषित किया गया है, के अर्थ वहीं होंगे जो क्रमशः भारतीय रेल स्थापना संहिता और भारतीय रेल स्थापना नियमावली में दिए गए हैं।

503 - छुट्टी का अधिकार-

निम्नलिखित परंतुक शामिल किया जाए, अर्थात्:-

"बशर्ते कि नियम 522 के अंतर्गत आवेदन की गई छुट्टी चिकित्सा प्राधिकरण को भेजे बिना अस्वीकृत अथवा रद्द नहीं की जाएगी, जिसकी सलाह आवश्यक होगी।"

510 - निरंतर छुट्टी की अधिकतम संख्या-

उप-नियम (2) के बाद, निम्नलिखित परंतुक शामिल किया जाए, अर्थात्:-

"इसके अलावा बशर्ते कि ये नियम उस मामले में लागू नहीं होगा जहां छुट्टी के लिए आवेदन निशक्तता के संबंध में चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर किया गया है।"

टिप्पणी:- यहां और इससे बाद "निशक्तता" का अर्थ है "विनिर्दिष्ट निशक्तता", "मानक निशक्तता" और "निशक्तता जहां बहुत सहायता की आवश्यकता है" है जैसा कि निशक्त व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) में उल्लिखित किया गया है।

511 - छुट्टी के लिए आवेदन-

निम्नलिखित परंतुक शामिल किया जाए, अर्थात्:-

"बशर्ते कि जहां रेल सेवक निशक्तता के लिए आवेदन अथवा चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है, ऐसा आवेदन अथवा चिकित्सा प्रमाण-पत्र निम्न द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रस्तुत किया जाएगा-

(क) रेल सेवक का पति/पत्नी; अथवा

(ख) अविवाहित रेल सेवक के मामले में माता-पिता; अथवा

(ग) रेल सेवक का बच्चा एवं दत्तक बच्चा अथवा भाई अथवा बहन, जिसने परिपक्वता की उम्र पूरी कर ली है; अथवा

(घ) ऐसा व्यक्ति जिसे निशक्त व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016) 2016 ,का 46(का धारा 14 के अनुसार रेल सेवक की सीमित संरक्षकता दी गई हो।

और इसे स्वयं रेल सेवक द्वारा तैयार किया गया और प्रस्तुत किया गया माना जाएगा।”

519 - नियम 519 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए:

519 - राजपत्रित और अराजपत्रित रेल सेवकों को चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर छुट्टी-

1. रेल सेवकों द्वारा चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर परिवर्तित छुट्टी/छुट्टी निम्नानुसार विनियमित की जाएगी:-

- (i) एक रेल सेवक (राजपत्रित अथवा अराजपत्रित) को, जो कि केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस)/रेल स्वास्थ्य सेवा (आरएसएस) का लाभार्थी हो और उसकी बीमारी के समय किसी ऐसे स्थान पर रह रहा हो, जहां केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/रेल स्वास्थ्य सेवा की सुविधाएं उपलब्ध हैं, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी अथवा रेलवे/सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी से भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली, जिल्द-I , तीसरा संस्करण 2000 के नियम 538 और 541 के अनुबंध XI में निर्धारित फॉर्म में बीमारी अयोग्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उन परिस्थितियों में, जहां रेलवे डॉक्टर कार्यक्षेत्र का दौरा नहीं करते हैं तो उन रेल कर्मचारियों को, जो रेलवे डॉक्टर के कार्याधिकार क्षेत्र के अंतर्गत रहते हुए बीमार हो गए हैं, किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर (आरएमपी) से चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा बशर्ते यदि चिकित्सा के आधार पर आवेदन 3 दिन से अधिक के लिए है तो कर्मचारी को अगर वह यात्रा करने के लिए फिट है, रेलवे डॉक्टर को रिपोर्ट करना होगा और यदि वह शय्याग्रस्त है तो उसे अपनी हालत के बारे में सूचना रेलवे डॉक्टर के निर्देशानुसार अंतरालों पर भेजनी होगी।

- (ii) रेल सेवक (राजपत्रित अथवा अराजपत्रित), जो केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी नहीं हैं; (जिनमें वे भी शामिल जिन्होंने केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/रेल स्वास्थ्य सेवा का विकल्प त्याग दिया है अथवा केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अथवा रेल स्वास्थ्य सेवा के कार्डधारी है लेकिन बीमारी के समय केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/रेल स्वास्थ्य

सेवा सुविधाओं वाले क्षेत्रों से बाहर रह रहे हैं अथवा मुख्यालय से बाहर रहने के दौरान बीमार हो जाते हैं) को अपने प्राधिकृत चिकित्सा परिचर से प्राप्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा बशर्ते उस मामले में अराजपत्रित रेल कर्मचारी के निवास स्थान अथवा मुख्यालय से बाहर अस्थायी ठहराव के स्थान से 8 किमी. के दायरे के भीतर कोई प्राधिकृत चिकित्सा परिचर उपलब्ध न हो तो छुट्टी मंजूरीदाता प्राधिकारी अपने विवेक से मामले के तथ्यों/गुणावगुण के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर से प्राप्त बीमार होने के गुणावगुण चिकित्सा प्रमाण-पत्र की प्रस्तुति पर छुट्टी/परिवर्तित छुट्टी मंजूर कर सकता/सकती है।

(iii) भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली : तीसरा संस्करण, 2000 (30.09.99 तक संशोधित) में यथा-अंतर्विष्ट केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 एवं रेल चिकित्सा परिचर्या नियम के अंतर्गत मान्यताप्राप्त किसी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने/इंडोर ट्रीटमेंट कराने की अनुमति दिए जाने के मामले में, रेल सेवक (राजपत्रित अथवा अराजपत्रित), चाहे वह केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/रेल स्वास्थ्य सेवाओं का लाभार्थी हो या न हो, यदि अस्पताल में उसकी भर्ती/इंडोर ट्रीटमेंट किसी विशेष प्रकार की बीमारी (उदाहरण के लिए हृदयरोग, कैंसर आदि) के कारण है तो उसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मान्यताप्राप्त अस्पताल में उपचार कराने के लिए उस अस्पताल के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी से अपेक्षित चिकित्सा/अरोग्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे भी मामले हो सकते हैं जिसमें किसी कर्मचारी को आरंभ में ऐसी अवस्था में ऐसे किसी अस्पताल में भर्ती कराया गया हो जब बीमारी का पूरी तरह से पता नहीं चला हो और बाद में यह पता चला हो कि यह बीमारी ऐसी नहीं है कि जिसकी आशंका में उसे इस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ऐसे मामलों में, छुट्टी मंजूरीदाता प्राधिकारी यदि मामले की वास्तविकता से संतुष्ट हो जाता है, तो महाप्रबंधक के अनुमोदन से ऐसे अस्पताल के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त बीमारी के प्रमाण-पत्र के आधार पर छुट्टी/परिवर्तित छुट्टी मंजूर कर सकता है।

(iv) उन आपवादिक मामलों में, जहां अराजपत्रित रेल सेवक किसी केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/रेल स्वास्थ्य सेवा के डॉक्टर अथवा प्राधिकृत चिकित्सा परिचर से चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में कठिनाई महसूस करता है तो छुट्टी मंजूरीदाता प्राधिकारी उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से प्राप्त चिकित्सा/अरोग्यता प्रमाण-पत्र के आधार पर छुट्टी मंजूर करने पर विचार कर सकता है। ऐसा प्रमाण-पत्र यथासंभव भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली, जिल्द-1, तीसरा संस्करण 2000 के नियम 538 और 541 के अनुबंध XI में दिए गए निर्धारित फॉर्म में होना चाहिए और इस फॉर्म में बीमारी की प्रवृत्ति और उस अवधि, जिसके लिए रेल सेवक अपनी इयूटी करने में असमर्थ रहेगा, का उल्लेख किया जाना

चाहिए। सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक पर प्रमाण-पत्र स्वीकार कर सकता है अथवा उन मामलों को, जिनकी सदाशयता पर संदेह करने के लिए उसके पास कारण हों, सलाह अथवा जांच के लिए मंडल चिकित्सा अधिकारी के पास भेज सकता है। सक्षम प्राधिकारी रेल सेवकों द्वारा उसकी छुट्टी के आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से प्राप्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र को रेलवे चिकित्सा अधिकारी द्वारा आवश्यक जांच कर लिए जाने के बाद और ऐसी जांच के बाद उसके द्वारा दी गई सलाह के आधार पर ही अस्वीकार कर सकता है।

- (v) क्षेत्रीय रेलों और फील्ड इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों के मामले में अरोग्यता प्रमाणपत्र - भारतीय रेलचिकित्सा नियमावली जिल्द-1, तीसरा संस्करण 2000 के नियम 538 एवं 541 में अंतर्विष्ट उपबंधों द्वारा शासित होता रहेगा।

टिप्पणी : सामान्यतः रेलवे चिकित्सा अधिकारी का कार्याधिकार क्षेत्र, उस रेलवे अस्पताल अथवा स्वास्थ्य इकाई, जिसके साथ वह डॉक्टर संबद्ध है, के 2.5 कि.मी. के दायरे के भीतर और उस डॉक्टर के क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के एक किलोमीटर के दायरे के भीतर रेल सेवक का उपचार करने के लिए लिया जाएगा ।

(प्राधिकार: बोर्ड के दिनांक 29.08.2002 का पत्र सं. ई(पी एंड ए)I-97/सी पी सी/एल ई-7)

रेल मंत्रालय का विनिश्चय 1 - यदि कोई रेल कर्मचारी तीन दिन या तीन दिन की अवधि के लिए चिकित्सीय छुट्टी पर रहता है और चिकित्सा व्यवसायी से आरोग्य प्रमाणपत्र के साथ इयूटी के लिए वापस रिपोर्ट करता है उसे रेलवे चिकित्सा अधिकारी से आरोग्य प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना कार्यभार ग्रहण करने दिया जाए लेकिन शर्त यह है कि कर्मचारी यह घोषणा करे कि इस अवधि के दौरान वह किसी नेत्र रोग से पीड़ित नहीं था । दूसरे मामलों में, जहां बीमारी की अवधि 3 दिनों से अधिक हो, कर्मचारी को, प्राइवेट चिकित्सा व्यवसायी से आरोग्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के 24 घंटे के भीतर इयूटी पर वापस ले लिया जाना चाहिए बशर्ते कि सक्षम रेल चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसे उपयुक्त पाया जाए । यदि रेल चिकित्सा अधिकारी से आरोग्य प्रमाणपत्र प्राप्त करने में 24 घंटे के बाद कोई विलंब होता है तो संबंधित कर्मचारी को प्राइवेट चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर 24 घंटे के भीतर इयूटी पर वापस ले लिया समझा जाएगा ।

(रेल मंत्रालय का पत्र सं. ई. (जी.) 78 एल.ई. 1-17 दिनांक 18.1.1979)

रेल मंत्रालय का विनिश्चय 2 - इसका दुष्प्रयोग रोकने के उद्देश्य से, रेल प्रशासन समूह ग और समूह घ रेल सेवकों को चिकित्सीय प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए चिकित्सा व्यवसायियों से चिकित्सीय प्रमाणपत्र स्वीकार करने की सुविधा को विशिष्ट अवधियों (गर्मियों में 1 अप्रैल से 30 जून, दीपावली के दौरान 1 अक्टूबर से 15 नवंबर, तथा किसी विभाग के कर्मचारियों द्वारा जब बड़ी संख्या में बीमारी की रिपोर्ट करना संभावित हो) के दौरान वापस ले लिया जाए ।

(सं. ई. (जी.) 72 एल.ई. 1-11, दिनांक 28.9.72)

2. ऐसे रेल सेवक के मामले में जो निशक्त हो गया है, चिकित्सा प्राधिकारी अनुबंध III-क में दिए प्रारूप में यह प्रमाणित करेगा -

(क) निशक्तता कि किस्म और उसका प्रतिशत ;

(ख) वह तारीख जब से निशक्तता हुई अथवा उस सीमा तक प्रकट हुई कि उसे दर्शाना चिकित्सीय दृष्टि से संभव हो;

(ग) क्या रेल सेवक के ड्यूटी पुनर्ग्रहण करने के योग्य होने की उचित संभावनाएं हैं, यदि नहीं, तो यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए कि ऐसा रेल सेवक आगे सेवा के लिए पूर्णतः तथा स्थायी रूप से अक्षम है ।

(2क) इन नियमों के प्रयोजन के लिए, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना अथवा सरकारी अस्पताल के डॉक्टर, अथवा सरकारी अस्पताल में विशेषज्ञ विशेष चिकित्सा की आवश्यकता वाले मामलों में, अथवा बहु निशक्तताओं के मामले में सरकारी अस्पताल के चिकित्सा बोर्ड, निशक्त व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अध्याय-X में निहित प्रावधानों के अधीन निशक्तता प्रमाणित करने के प्राधिकारी के अतिरिक्त, अनुबंध-III क में दिए प्रारूप में निशक्तता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी होंगे ।

(2ख) इन नियमों के होते हुए, निशक्तता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कार्यालय प्रमुख अथवा किसी अन्य प्राधिकारी से कोई संदर्भ आवश्यक नहीं होगा ।

3. यदि छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, किसी विशिष्ट मामले की सत्यता की बाबत संतुष्ट नहीं है तो ऐसा प्राधिकारी, सरकारी चिकित्सा अधिकारी/रेल चिकित्सा अधिकारी से, जो सिविल शल्य चिकित्सक/चिकित्सा अधीक्षक या स्टाफ शल्य चिकित्सक/मंडल चिकित्सा अधिकारी से निम्नतर पद का नहीं है, शीघ्रतम संभव तारीख पर आवेदक की चिकित्सीय परीक्षा करने की प्रार्थना कर दूसरी चिकित्सीय राय प्राप्त कर सकता है ।

4. यह मंडल चिकित्सा अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह बीमारी के तथ्य तथा संस्तुति की गई छुट्टी की अवधि दोनों विषयों पर अपनी राय प्रस्तुत करे और इसके लिए वह आवेदक को स्वयं अथवा उसके द्वारा नामांकित किए गए चिकित्सा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए कहेगा ।

5. इस नियम के अधीन जारी किए गए चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर किसी भी रेल सेवक को छुट्टी का अधिकार नहीं देता है. चिकित्सा प्रमाणपत्र छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित कर दिया जाएगा और उसके आदेशों की प्रतीक्षा की जाएगी ।

6. यदि छुट्टी के लिए आवेदन एक समय में 3 दिन से अधिक का नहीं है तब छुट्टी प्रदान करने वाला सक्षम प्राधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में रहते हुए चिकित्सीय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में छूट प्रदान कर सकता है। बहरहाल, ऐसी छुट्टियां चिकित्सीय प्रमाणपत्र के आधार पर नहीं मानी जाएगी तथा चिकित्सीय आधार पर दी जाने वाली छुट्टियों के अलावा अन्य छुट्टियों में से काटी जाएंगी।

7. रेल सेवक की छुट्टी मंजूर करने की सिफारिश करने वाले चिकित्सा अधिकारी के प्रत्येक प्रमाणपत्र में यह प्रावधान होगा कि उस प्रमाणपत्र में अंतर्विष्ट कोई सिफारिश ऐसी छुट्टी के दावे या साक्ष्य के लिए आधार नहीं होगी जो रेल सेवक की संविदा के निबंधनों के अधीन या उन नियमों के अधीन, जिनके अधीन वह है, उसे स्वीकार्य नहीं है। प्रमाणपत्र छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित कर दिया जाएगा और उसके आदेशों की प्रतीक्षा की जाएगी।

520 - नियम 520 को नीचे दिए गए अनुसार प्रतिस्थापित किया जाए :

520. समूह क और समूह ख के अधिकारियों को चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर छुट्टी की मंजूरी - इससे पूर्व कि किसी समूह क या समूह ख रेल सेवक को चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर छुट्टी या छुट्टी का विस्तारण मंजूर किया जाए, वह निम्नलिखित प्ररूप में प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करेगा :

ऐसे रेल सेवकों (समूह क और ख) के अधिकारियों के लिए चिकित्सीय प्रमाणपत्र जिसके लिए छुट्टी या छुट्टी के विस्तारण या छुट्टी के संपरिवर्तन की सिफारिश की गई है

रेल सेवक के हस्ताक्षर.....

मैं मामले की ध्यानपूर्वक वैयक्तिक परीक्षा करने के पश्चात यह प्रमाणित करता हूँ कि श्री/श्रीमती/कुमारी जिनके हस्ताक्षर ऊपर कराए गए हैं, से ग्रस्त है और मैं समझता हूँ कि तारीख से..... की अवधि की छुट्टी उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए नितांत आवश्यक है।

तारीख.....

चिकित्सा अधीक्षक/मंडल चिकित्सा अधिकारी/
प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक

टिप्पणी : (i) सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र तभी स्वीकार्य होगा जब उस पर संबंधित मंडल चिकित्सा अधिकारी ने प्रतिहस्ताक्षर कर दिए हैं।

(ii) इस प्ररूप का यथासंभव अनुसरण किया जाना चाहिए और इसे तभी भरा जाना चाहिए जब उस पर आवेदक ने हस्ताक्षर कर दिए हों । प्रमाणकर्ता अधिकारी यह प्रमाणित करने के लिए स्वतंत्र नहीं है कि परिवर्तन के लिए अपीलार्थी का, किसी विशिष्ट परिक्षेत्र को अथवा उससे जाना आवश्यक है अथवा यह कि वह किसी विशिष्ट परिक्षेत्र को जाने योग्य नहीं है । ऐसा प्रमाणपत्र संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी की स्पष्ट इच्छानुसार ही दिया जाना चाहिए जिसे, ऐसे किसी आधार पर आवेदन किए जाने पर यह विनिश्चय करने का अधिकार है कि आवेदक को, सेवा के लिए उसके अयोग्य होने के प्रश्न पर विनिश्चय के लिए, चिकित्सक बोर्ड के समक्ष जाना चाहिए या नहीं ।

(iii) इन प्रमाणपत्रों में अंतर्विष्ट कोई सिफारिश ऐसी किसी छुट्टी के दावे का साक्ष्य नहीं होगी जो रेल सेवक की संविदा अथवा उन नियमों के जिनके अधीन है, निबंधनों के अनुसार उसे अनुज्ञेय नहीं है ।

521. रेल सेवकों द्वारा चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर परिवर्तित छुट्टी/छुट्टी :

हटा दिया गया {इस नियम के प्रावधान नियम 519(1) में मिला दिए गए हैं}

522 - ऐसे रेल सेवक को छुट्टी जिसका इयूटी पर लौटने के योग्य होना असंभाव्य है -

(1) उप नियम (1), खंड(ख) में, उप खंडों (i) एवं (ii) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएं, अर्थात :-

“(i) यदि चिकित्सा प्राधिकारी निश्चयपूर्वक यह कहने में असमर्थ है कि सरकारी सेवक, जो निशक्त हो गया है, पुनः कभी भी सेवा के योग्य नहीं होगा तो एक समय पर 12 माह से अधिक की छुट्टी मंजूर नहीं की जा सकेगी और ऐसी छुट्टी कोई चिकित्सा प्राधिकारी को भेजे बिना बढ़ाई नहीं जा सकेगी;

(ii) यदि रेल सेवक, नियम 519 में दिए गए अनुसार, ऐसी निशक्तता प्राप्त कर लेता है जिस कारण किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा पूर्ण और स्थायी रूप से आगे सेवा के लिए असमर्थ घोषित कर दिया गया है तो चिकित्सा अधिकारी का प्रमाणपत्र अनुबंध-III-क में प्राप्त करने के बाद छुट्टी या छुट्टी का विस्तारण मंजूर किया जा सकेगा ।

बशर्ते कि उप खंड (i) एवं (ii) के अधीन काटी गई छुट्टियां, चिकित्सा अधिकारी का प्रमाणपत्र प्राप्त होने के बाद रेल सेवक के छुट्टी खाते में पुनः जोड़ दी जाएंगी ।

इसके अलावा बशर्ते कि, कोई छुट्टी, अनुपस्थिति की अवधि को विनियमित करने के लिए खंड (ख) के उप खंड (ii) के अधीन मंजूर की गई है, चिकित्सा अधिकारी का प्रमाणपत्र प्राप्त होने के बाद, रेल सेवक के छुट्टी खाते से काटी नहीं जाएगी । “

(2) उप नियम (2) के लिए, निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात :-

“(2) ऐसे रेल सेवक के मामले में जिसकी छुट्टी उप नियम 1 के खंड (ख) के अनुसार मंजूर की गई है, निशक्त व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का 49) के खंड 20 के प्रावधान अपने आप लागू होंगे । “

अनुबंध-III क - रेल सेवकों के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र जिन्हें नियम 522 के अधीन छुट्टी की संस्तुति की जानी है-

अनुबंध III के पश्चात, निम्नलिखित अनुबंध जोड़ा जाए, अर्थात :-

“अनुबंध-III क”

(नियम 519 और 522 देखें)

सरकारी सेवकों के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र जिन्हें नियम 522 के अधीन छुट्टी की संस्तुति की जानी है

रेल सेवक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... (पदनाम, कार्य का स्थान भी दिया जाए) मेरे चिकित्सीय अधीक्षण में से है तथा * से पीड़ित है ।

2. उपरोक्त चिकित्सीय अवस्था अनुमानतः से प्रभाव में आई है, और कि -

- (i) यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि रेल सेवक पुनः सेवा करने में योग्य नहीं हो पाएगा; अथवा
- (ii) ऐसी कोई उचित संभावना नहीं है कि रेल सेवक इयूटी पुनर्ग्रहण करने के लिए योग्य होगा.

3^ इस तथ्य को देखते हुए कि निश्चयपूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि रेल सेवक सेवा के लिए कब तक योग्य हो पाएगा, मैं श्री/श्रीमती/कुमारी..... को चिकित्सीय आधार पर से तक (1 वर्ष की अवधि तक) की छुट्टी प्रदान करने की संस्तुति करता हूँ ।

[^यदि प्रमाणपत्र 2(ii) के अधीन जारी किया जा रहा है तो काट दें]

केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना/सरकारी अस्पताल/चिकित्सा बोर्ड के चिकित्सा अधिकारी का नाम एवं पदनाम

अथवा

निशक्त व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 57 के अधीन पदनामित प्रमाणन प्राधिकारी का नाम, पदनाम एवं विवरण

*टिप्पणी: यहां निशक्तता की किस्म विनिर्दिष्ट की जाए. यहां, “निशक्तता” का अर्थ है “विशिष्ट निशक्तता”, “बेंचमार्क निशक्तता” और “अधिक सहायता वाली निशक्तता” जैसा कि निशक्त व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) में संदर्भित है।

(प्राधिकार: रेलवे बोर्ड का पत्र सं. ई (पी एंड ए) आई-2017/सी पी सी/एल ई-5, दिनांक 01.11.2019)

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

RBE No. 186/2019

No. E(P&A)I-2017/CPC/LE-5

New Delhi dated 01.11.2019

The General Managers/Principal Financial Advisers,
All Indian Railways and Production Units.

Sub: Leave to a Railway servant who is unlikely to be fit to return to duty - reg.

In pursuance to the decision taken by the Government, the Ministry of Railways have decided that leave applied under Rule 522 of IREC Vol.-I, shall not be refused or revoked without reference to the Medical Authority, whose advice shall be binding. Further, any leave debited for the period(s) granted after receipt of the certificate of disability of the Medical Authority, shall be remitted back into the leave account of the Railway servant. The Certificate of Disability is required to be issued in Annexure III-A, which should be signed by a Government doctor of a Government medical board. Further, a Railway servant who is granted leave in accordance with the provisions of clause (b) of sub rule (1) of rule 522 of IREC Vo.-I, the provisions of section 20 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) shall, suo-motu, apply.

2. This order shall take effect from 19.04.2017.

3. The provisions in respect of Leave Rules are contained in Chapter-5 of Indian Railway Establishment Code (IREC), Volume-I, 1985 Edition (Reprint Edition-2008). In view of this, in exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to direct that Leave Rules may be amended as per enclosed Advance Correction Slip No. 138.

4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

5. Please acknowledge receipt.

DA:- Correction Slip.



(N P Singh)
Joint Director Estt.(P&A),
Railway Board

No. E(P&A)I-2017/CPC/LE-5

New Delhi dated 01.11.2019

Copy to the Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.224, Rail Bhawan, New Delhi (with 40 spares).

for Financial Commissioner/Railways



Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, AIRF, R.No.253, Rail Bhawan, New Delhi.(with 35 spares).
2. The General Secretary, NFIR, R.No.256-E, Rail Bhawan, New Delhi.(with 35 spares).
3. The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi.(with 60 spares).
4. The Secretary General, FROA, R.No.256-A, Rail Bhawan, New Delhi.(with 5 spares).
5. The Secretary, RBSS, Group 'A' Officer Association, R.No.402, Rail Bhawan (with 5 spares).
6. The President, Railway Board Class II Officers' Association.
7. The Secretary General, IRPOF, Room No.341-C, Railway Board.
8. The President, Indian Railway Class II Officer Association.
9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association.
10. The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association
11. The Secretary General, AIRPF Association.
12. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, R.No.8, Ground Floor, Rail Bhawan, New Delhi-110001.
13. All India OBC Railway Employee's Association.
14. The General Secretary, Retired Railway Employees Welfare Association (Regd.), 490A/16, Gurudwara Raod, Gurgaon.
15. The Chief Commissioner of Railway Safety, 16, Ashok Road, Lucknow.

meenu
for Secretary, Railway Board

Copy to : PSOs/Sr.PPSs/PPSs/PSs/PAs to :-

MR, MSR(A), CRB, FC, ME, ML, MM, MS, MT, DG(RHS), DG(RPF), DG(S&T), DG(S), DG(P), Secretary, AM(B), AM(CE), AM(C), AM(C&IS), AM(Elec), AM(F), AM(Plg), AM(Projects), AM(Sig), AM(MS), AM(Mech.), AM(PU), AM(RS), AM(T&C), AM(Telecom), AM(T), AM(Vig), AM(Works), Adv(AR), Adv(F), AM(Staff), Adv. (Safety), Adv(IR), ED(Plg.), ED(A), EDF(BC), EDCE(B&S), EDCE(G), EDCE(Plg.), ED(Chg.), ED(CC), ED(C&IS), ED(E&R), EDEE(Dev.), EDEE(G), EDEE(RS), EDE, EDE(RRB), EDE(N), EDE(Res.), EDF(C), EDF(E), EDF(S), EDF(B), EDF(RM), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), ED(LM), ED(MIS), EDE(GC), EDT(MPP), EDME(Chg.), EDME(FR), EDME(Tr.), EDME(TOT), EDME(Dev.), EDME(W), EDPC-I, EDPC-II, ED(PP), ED(Proj.), ED(Proj.)-DMRC, ED(RE), EDRE(S&T), EDRE(S), ED(Safety), ED(Sig.), ED(S&E), EDRS(C), EDRS(G), EDRS(P), EDRS(S), EDRS(W), ED(TD), EDTrack(M), EDTrack(MC), EDTrack(P), ED(T&C), ED(CP), ED(PM), ED(PG), EDT(R), EDTC(FM), EDTT(M), EDTT(FM), EDTT(M), EDTT(S), EDV(A), EDV(E), EDV(S), EDV(T), ED(W), IG/RPF(HQs), IG/RS, JS, JS(C), JS(D), JS(E), JS(G), JS(P), DPC-I, DPC-II, DE(N), DF(A/Cs), DE(G), DE(N), DPR, JDE(G), JDE(L), JDE(LL), JDE(W), JDF(B), JDF(E), JDE(N), JDE(Res.), DS(G), DS(Parl.), US(A), DDE(D&A), DDE(P&A), DDE(LR)I, DDF(E)I, DDF(E)II, DDF(E)III, DDE(R)I (with 2 spares), DDE(W), DDPC-V, VI & VII, DDE(Trg.) & PAO,

Branches : Accounts III (with 10 spares), Budget, Budget(Com)I, Cash- I, II, III, Chasing C&IS, E(P&A) II, ERB-I, ERB-II, ERB-III, ERB-IV, ERB-V & ERB-VI, E(LR)I/II/III, E(RRB), E(Rep)I, II, III, E(MPP), E(W), E(G), E(NG)I & II, E(Coop), E(LL), E(Sports), E(ML), E(SCT)I, II, E(D&A), E(GC), E(GR)I & II, E(O) I, II, III & E(O)III(CC), F(E)-I, II & III, F(E) Spl, G(Pass), G(Acc.), Issue(D), M(L), Parl., PC-III, IV & V, PC-VI, PC-VII, Project Cell, PR, Sec.(E) & Sec.(ABE) Railway Board.

(Authority: Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Deptt. of Personnel & Training's O.M. No. 18017/1/2014-Estt(L) dated 17.07.2018 and Notification G.S.R. 438(E) dated 03.04.2018)

**ADVANCE CORRECTION SLIP TO THE INDIAN RAILWAY ESTABLISHMENT CODE,
VOLUME-I, 1985 Edition- (THIRD REPRINT EDITION - 2008)**

Advance Correction Slip No. 138

The following amendments may be made to Leave Rules of the Indian Railway Establishment Code, Volume-I, 1985 Edition (Reprint Edition - 2008):-

After Rule 502, the following Rule shall be inserted, namely:

502-A. Definitions

(1) In these rules, unless the context otherwise requires-

- (a) "Audit Officer" means the Accounts and Audit Officer, whatever his official designation, in whose circle the office of the Railway servant is situated;
- (b) "Authority competent to grant leave" means the authority specified in Column (3) of the First Schedule to these rules, competent to grant the kind of leave specified in the corresponding entries in Column (2) of the said Schedule;
- (c) "Completed years of service" or "one year's continuous service" means continuous service of specified duration under the Railways and includes the period spent on duty as well as on leave including extraordinary leave;
- (d) "Date of retirement" or "date of his retirement" in relation to a Railway servant, means the afternoon of the last day of the month in which the Railway servant attains the age prescribed for retirement under the terms and conditions governing his services;
- (e) "Disability" means "specified disability", benchmark disability" and "disability having high support needs" as referred to in the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016).
- (f) "Foreign service" means service in which a Railway servant receives his pay with the sanction of Government from any source other than the Consolidated Fund of India or the Consolidated Fund of any State [or the Consolidated Fund of a Union Territory];
- (g) "Form" means a Form mentioned at the end of Chapter-5 as Annexures;
- (h) "Railway servant in quasi-permanent employ" means an officer who, having been declared by the Union Public Service Commission to be eligible for appointment to the Ministerial Services under Ministry of Railways, has been appointed to a temporary or officiating vacancy on the understanding given to him in writing before he took up the appointment, that that vacancy is expected to become permanent but is not confirmed after completion of three years' continuous service;
- (i) "Railway servant in permanent employ" means an officer who holds substantively or provisionally substantively a permanent post or who holds a lien on a permanent post or who would have held a lien on permanent post had the lien not been suspended;
- (j) "Vacation Department" means a department or part of a department, to which regular vacations are allowed, during which Railway servants serving in the department are permitted to be absent from duty.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Indian Railway Establishment Codes and Indian Railway Establishment Manuals shall have the meanings respectively assigned to them in the Indian Railway Establishment Codes and Indian Railway Establishment Manuals.

503 - Right to Leave-

The following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that leave applied under rule 522, shall not be refused or revoked without reference to the Medical Authority, whose advice shall be binding.”

510 - Maximum amount of continuous leave-

After sub-rule (2), the following proviso shall be inserted namely:-

“Provided further that this rule shall not apply to a case where leave is applied on medical certificate, in connection with a disability.”

Note:- Here and hereafter “disability” means “specified disability”, “benchmark disability” and “disability having high support needs” as referred to in the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016).

511 - Application for leave-

The following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that where a Railway servant is unable to submit an application or medical certificate on account of a disability, such application or medical certificate may be signed and submitted by-

(a) the spouse of the Railway servant; or

(b) the parents in case of an unmarried Railway servant; or

(c) the child including adopted child or brother or sister of the Railway servant, who has attained the age of majority; or

(d) any person who has been assigned limited guardianship of the Railway servant in terms of section 14 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (46 of 2016)

And the same shall be deemed to have been made and submitted by the Railway servant himself.”

519 - Rule 519 may be substituted as under:

519 - Grant of leave on Medical Certificate to Gazetted and non-Gazetted Railway servants -

1. Commuted Leave/Leave on production of Medical Certificate by the Railway Servants shall be regulated as follows:-

- (i) A Railway servant (Gazetted or Non-gazetted), on being a Central Government Health Scheme (CGHS/Railway Health Services (RHS) beneficiary and living in an area covered by the CGHS/RHS at the time of illness, shall be required to produce a Medical and Fitness Certificate in the Form prescribed in Annexure XI to Rule 538 and 541 of Indian Railway Medical Manual, Volume 1, Third Edition 2000 either from an authorized CGHS Medical Officer or a Railway/Government Authorized Medical Officer.

In circumstances where the Railway Doctor's line visits do not materialize, the Railway employees, who are covered by the line jurisdiction of the Railway doctor and who have fallen ill, may obtain a Medical Certificate from a Registered Medical Practitioner (RMP) subject to the condition that if the leave applied for on medical grounds is for more than 3 days, the employee should report to the Railway doctor if he is fit to travel or send intimation about his condition, if he is bed-ridden, at such intervals as directed by the Railway doctor.

(ii) Railway servants (Gazetted or Non-gazetted), who are not CGHS beneficiaries, (including those who have opted out of the CGHS / RHS or are CGHS or RHS Card Holders, but at the time of illness are residing outside the jurisdiction of the CGHS / RHS facilities or take ill while being outside the Headquarters) are required to produce a Medical and Fitness Certificate from his Authorized Medical Attendant (AMA) provided that in the case of a Non-gazetted Railway employee, if no AMA is available within a radius of 8 kilometers of his residence or place of temporary stay outside the Headquarters, the leave sanctioning authority may at his discretion, sanction Leave / Commuted Leave on production of a Medical Certificate from the Registered Medical Practitioner, after satisfying itself of the facts / merits of the case .

(iii) In case of hospitalization/indoor treatment permitted in a private hospital recognized under the CGHS/Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944 and Railway Medical Attendance Rules as contained in Indian Railway Medical Manual, Third Edition, 2000(Corrected upto 30.9.99), a Railway servant (Gazetted or Non-gazetted), whether a CGHS/RHS beneficiary or not, may produce the requisite Medical/Fitness Certificate from the Authorized Medical Officer of such a hospital in case his hospitalization/ indoor treatment, is on account of the particular kind of disease (e.g. heart, cancer etc.) for the treatment of which the concerned Hospital has been recognized by the Ministry of Health and Family Welfare. There may be instances where an employee may be initially admitted to such a hospital at a stage when the disease has yet not been fully diagnosed and it may subsequently be established that the disease was not that, the suspicion of which prompted his / her admission to the hospital. In such cases, the leave sanctioning authority, with the approval of the General Manager, may grant Leave / Commuted Leave on the basis of the Medical Certificate from the Authorized Medical Officer of such a hospital, if he is satisfied about the genuineness of the case.

(iv) In cases where a Non-gazetted Railway servant finds it difficult to obtain the Medical/Fitness Certificate from a CGHS/RHS doctor or AMA in exceptional cases, the leave sanctioning authority, may consider grant of leave on the basis of the Medical/Fitness Certificate from an RMP after taking into account the circumstances of the specific case. Such a certificate should be, as nearly as possible, in the prescribed form as given in Annexure XI of Rule 538 and 541 of Indian Railway Medical Manual, Volume 1, Third Edition'2000, and should state the nature of illness and the period for which the Railway servant is likely to be unable to perform his duties. The competent authority may, at its discretion accept the certificate, or in cases where it has reasons to suspect the bonafides, refer the case to the Divisional Medical Officer for advice or investigation. The Medical Certificate from registered private practitioners produced by the Railway servant in support of their application for leave may be rejected by the competent authority only after a Railway Medical Officer has conducted the necessary verifications and on the basis of the advice tendered by him after such verifications.

- (v) Certificate of Fitness in the case of employees working in the Zonal Railways and Field Units will continue to be governed by the provisions contained in Rule 538 and 541 of Indian Railway Medical Manual, Volume 1, Third Edition 2000.

Note: Ordinarily, the jurisdiction of a Railway Medical Officer will be taken to cover Railway servant residing within a radius of 2.5 kilometers of the Railway Hospital or health unit to which the Doctor is attached, and within a radius of one kilometer of a Railway station of the Doctor's beat.

(Authority Board's letter No. E(P&A)I-97/CPC/LE-7 dated 29.08.2002.)

Railway Ministry's decision-1.—Where a Railway employee remained on medical leave upto and including 3 days duration and reported back for duty with a fitness from the medical practitioner, he may be allowed to join duty without obtaining fitness certificate from the Railway Medical Officer subject to the conditions that the employee furnished a declaration that he had not suffered during this period from any eye disease. In the other cases where the duration of the sickness is more than 3 days, the railway employee should be put back to duty within 24 hours on his producing fitness certificate from a private medical practitioner, provided he is found fit by the competent railway medical officer. In case there is any delay beyond 124 hours in obtaining the fitness certificate from the competent Railway Medical Officer, the employee concerned will be deemed to have been put back to duty within 24 hours of his producing the medical certificate of the private medical officer.

(Rly. Ministry's letter No. E(G)78LE 1-17 dated 18-1-1979)

Railway Ministry's decision 2.—With a view to preventing misuse, the Railway administration may with draw for specified periods(From 1st April to 30th June in Summer, from 1st Oct. to 15th November during Diwali and when mass sick reporting is contemplated by staff of any department) the privilege of acceptance of medical certificate from Registered Medical Practitioners for grant of Medical Certificates to Group C and Group D Railway servants.

(No. E(G) 72LE-1-11 dated 28-9-72.)

2. In case of a Railway servant who has acquired a disability, the Medical Authority shall certify, in the form at Annexure III A -

- (a) the nature and extent of the disability;
- (b) the date from which such disability has occurred or manifested, to the extent it may be medically possible to indicate the same;
- (c) whether there are reasonable prospects for the Railway servant to be fit to resume duties, and if not, categorically state that such Railway servant is completely and permanently incapacitated for further service.

(2A) For the purpose of these rules, a doctor in Central Government Health Scheme or a Government Hospital, or a specialist in Government Hospital in cases requiring specialized treatment, or a Medical Board in a Government Hospital in the case of multiple disabilities shall, in addition to the authority certifying specified disability under the provisions contained in Chapter X of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), be the Medical Authorities competent to issue certificate of disability in the form at Annexure-III A.

(2B) Notwithstanding anything in these rules, no references from the Head of Office or any other authority may be required for issue of medical certificate of disability.

3. Where, however, the authority competent to grant leave is not satisfied about the genuineness of a particular case, it will be open to such authority to secure a second medical opinion by requesting a Government Medical Officer/Railway Medical Officer not below the rank of Civil Surgeon/Medical Superintendent or Staff Surgeon/Divisional Medical Officer to have the applicant medically examined on the earliest possible date.

4. It shall be the duty of the Divisional Medical Officer to express an opinion both as regards the facts of the illness and regards the necessity for the amount of leave recommended and for that purpose he may either require the applicant to appear before himself or before a Medical Officer nominated by himself.

5. The grant of medical certificate under this rule does not in itself confer upon the railway servant concerned any right to leave. The medical certificate shall be forwarded to the authority competent to grant leave and orders of that authority awaited.

6. The authority competent to grant leave may at its discretion, waive the production of medical certificate in case of application for leave for a period of not exceeding 3 days at a time. Such leave shall not, however, be treated as leave on medical certificate and shall be debited against leave other than on medical grounds.

7. Every certificate of a Medical Officer recommending the grant of leave to a railway servant must contain a proviso that no recommendation contained in it shall be evidence or a claim to any leave not admissible to the railway servant under the term of his contract or the rules to which he is subject. The certificate should be forwarded to the authority competent to grant the leave and the orders of that authority should be awaited.

520 - Rule 520 may be substituted as under:

520. Grant of leave on Medical certificate to Group A and Group B Officers

Before a railway servant in Group A or Group B is granted leave or an extension of leave, on medical certificate, he shall obtain a certificate in the following form:

**MEDICAL CERTIFICATE FOR RAILWAY SERVANTS (GROUP A & B) RECOMMENDED
LEAVE OR EXTENSION OF LEAVE OR COMMUTATION OF LEAVE**

Signature of the Railway Servant

Iafter careful personal examination of the case hereby certify that Shri/Shrimati/Kumari.....whose signature is given above, is suffering fromand I consider that a period of absence from duty of..... with effect from.....is absolutely necessary for the restoration of his/her health.

Date.....

Medical Superintendent/Divisional
Medical Officer/ Authorised Medical
Attendent

Note—(i) A certificate given by an Assistant Divisional Medical Officer will be acceptable only if countersigned by Divisional Medical Officer concerned.

(ii) This form should be adhered to as closely as possible and should be filled in after the signature of the applicant has been taken. The certifying officer is not at liberty to certify that the applicant requires a change from or to a particular locality, or that he is not fit to proceed to a particular locality. Such certificate should only be given at the explicit desire of the administrative authority concerned, to whom it is open to decide, when an application on such grounds has been made to him whether the applicant should go before a Medical Board to decide the question of his fitness for service.

(iii) No recommendation contained in these certificates shall be evidence of a claim to any leave not admissible to the railway servant under the terms of his contract or of the rules to which he is subject.

521. Commuted leave/Leave on Production of Medical Certificate by the Railway Servants:

Omitted [Provisions of this rule have been merged in rule 519(1)].

522 - Leave to a railway servant who is unlikely to be fit to return to duty -

(a) in sub-rule (1), in clause (b), for sub-clauses (i) and (ii), the following shall be substituted, namely:-

“(i) if the Medical Authority is unable to say with certainty that the Railway servant, who has acquired a disability, will never again be fit for service, leave not exceeding twelve months at a time may be granted and such leave shall not be extended without further reference to a Medical Authority;

(ii) if a Railway servant is declared by the Medical Authority, as specified in rule 519, as to have acquired such disability which may prevent him from discharging further service, leave or an extension of leave may be granted to him after the certificate of the Medical Authority has been received in Annexure III-A;

Provided that any leave debited for the period(s) granted under sub-clause (i) of clause (b), after receipt of the certificate of disability of the Medical Authority, shall be remitted back into the leave account of the Railway servant;

Provided further that any leave granted to regulate the period of absence under sub-clause (ii) of clause (b), after receipt of the certificate of the Medical Authority, shall not be debited to the leave account of the Railway servant.”

(b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(2) In the case of a Railway servant who is granted leave in accordance with the provisions of clause (b) of sub-rule (1), the provisions of section 20 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) shall, suo motu, apply.”

Annexure III A - Medical Certificate for Railway servants who are to be recommended leave under Rule 522 -

After Annexure III, the following Annexure shall be inserted, namely:-

"Annexure III A"
(see rules 519 and 522)

**MEDICAL CERTIFICATE FOR GOVERNMENT SERVANTS WHO ARE TO BE
RECOMMENDED LEAVE UNDER RULE 522**

Signature/thumb impression of the Railway servant _____

It is certified that Shri/Shrimati/Kumari _____ (designation and place of work may also please be indicated) is under my medical supervision since _____ and is suffering from _____*.

2. The aforesaid medical condition can be reasonably estimated to have manifested itself with effect from _____ and that-

- (i) it cannot be said with certainty that the Railway servant will never again be fit for service; or
- (ii) there is no reasonable prospect that the Railway servant will ever be fit to return to duty.

3[^]. In view of the fact that it cannot be said with certainty as to when the Railway servant shall be fit for service, I recommend that Shri/Shrimati/Kumari may be granted leave on medical grounds w.e.f. to (upto a period of one year).

[[^] Please strike out if a certificate is being issued under 2(ii) above]

Name and designation of the Medical Officer of Central Government Health Scheme/Government Hospital/Medical Board
OR

Name, designation and details of certifying authority so designated under section 57 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016)

*Note: Nature of disability may be specified. Here "disability" means "specified disability", "benchmark disability" and "disability having high support needs" as referred to in the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016).

(Authority: Railway Board's letter No. E(P&A)I-2017/CPC/LE-5 dated 01.11.2019)
